इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]　　　　भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2016—ज्येष्ठ 6, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2016

क्र. एफ-5(ए)-15-2005-ई-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा (भरती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 8 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1) सेवा के प्रारंभिक गठन के पश्चात्, सेवा में भरती निम्नलिखित रीतियों से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) अधीक्षक/लेखा सहायक (सहायक ग्रेड-1) से पदोन्नति द्वारा.

(ख) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, (मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से):—

परन्तु मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों की भरती पदोन्नति तथा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से क्रमश: 20:80 के अनुपात में की जाएगी."

2. नियम 10 में, खण्ड ख "शैक्षणिक अर्हता" के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"**ख शैक्षणिक अर्हता**:—अभ्यार्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिरूद्ध मुकर्जी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मई 2016

क्र. एफ-5(ए)-15-2005-ई-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5(ए)-15-2005-ई-चार दिनांक 25 मई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिरूद्ध मुकर्जी, सचिव.

Bhopal, the 25th May 2016

No.F-5(A)-15-2005-E-IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Subordinate Accounts Service (Recruitment and Condition of Service) Rules, 1965, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. in rule 8, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substitute, namely:—

"(1) Recruitment of the service after the initial constitution of the service shall be made by the following methods, namely:—

(a) by promotion from Superitendent/Accounts Assistant (Assistant Grade-1).

(b) by competitive examination (through State Services Combined Competitive Examination of Madhya Pradesh Public Service Commission) :

Provided that the recruitment of the Members of the Madhya Pradesh Subordinate Accounts Service shall be made by way of promotion and selection through the competitive examination in the proportion of 20:80 respectively."

2. In rule 10, for clause B "Educational Qualification" the following clause shall be substituted, namely:—

"**B Educational Qualification**:—The candidate must have Graduation degree in any group from a recognised university.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
ANIRUDDHE MUKERJEE, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.